International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

डिजिटल सशक्तिकरण: पंचायती राज व्यवस्था में ई-गवर्नेंस के माध्यम से महिलाओं का क्षमता निर्माण

तरुणा यादव[1], गोपाल प्रसाद[2]

[1]शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, दी. द. उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय
[2]आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दी. द. उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय

सारांश
भारत में पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत शासन की आधारशिला के रूप में कार्य करती है, जिसका लक्ष्य स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है। हालाँकि, इस व्यवस्था के भीतर लैंगिक असमानताएँ बनी हुई है, संवैधानिक प्रावधानों और सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद, स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी और प्रभाव सीमित हैं। यह शोध पत्र इन असमानताओं को दूर करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज संस्थानों में ई- गवर्नेंस की भूमिका का पता लगाता है। यह अध्ययन, सूचना तक पहुँच, निर्णय लेने में भागीदारी और आवश्यक सेवाओं का वितरण जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर डिजिटल हस्तक्षेप के प्रभाव की जाँच करता है। यह शोध पत्र स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने में ई- गवर्नेंस तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त, यह डिजिटल सशक्तिकरण पहल को लागू करने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का पता लगाता है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, बुनियादी ढांचे और लैंगिक पूर्वाग्रह के मुद्दे शामिल हैं।

मुख्य शब्द :- ई- गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, लैंगिक समानता

1. प्रस्तावना

डिजिटल सशक्तिकरण की अवधारणा ने विशेष रूप से जमीनी स्तर पर समावेशी शासन और भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं का सशक्तिकरण जो कि समाज को परिवर्तन की ओर ले जाता है मुख्य रुप से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में सभी के लिए समानता की मांग करता है। महिलाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार की असमानता को "लिंग डिजिटल विभाजन" (Gender digital divide) कहा जाता है। दुनियाभर में महिलाएँ आईसीटी का प्रयोग कम मात्रा में करती हैं। महिलाओं को आईसीटी के उपयोग में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसका मुख्य कारण प्रचलित सामाजिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने महिलाओं को उनके तकनीकी उपयोग और उनकी प्रगति के मामले में हाशिए पर रखा है **[1, 2]** ।

हाल के वर्षों में, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन ने दुनिया भर में शासन प्रणालियों को बदल दिया है, जिससे शासन के अधिक कुशल, पारदर्शी और समावेशी तरीके सुगम हो गए हैं। भारतीय संदर्भ में, ई- गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन ने पंचायती राज प्रणाली के तहत ग्रामीण प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस डिजिटल क्रांति का एक महत्वपूर्ण पहलू पंचायती राज ढांचे के भीतर डिजिटल माध्यमों से महिलाओं का

सशक्तिकरण है। इस शोध पत्र का उद्देश्य डिजिटल सशक्तिकरण के दायरे में उतरना है और इस बात पर ध्यान केन्द्रित करना है कि कैसे ई- गवर्नेंस तंत्र पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के बीच क्षमता निर्माण में योगदान दे सकता है।

स्थानीय शासन में डिजिटलीकरण और महिला सशक्तिकरण के अंतर्संबध की जाँच करके, यह अध्ययन पंचायती राज की जमीनी स्तर की शासन संरचना के भीतर महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ावा देने में डिजिटल उपकरणों की क्षमता को उजागर करने का प्रयास करता है। एक बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से यह ग्रामीण भारत में लिंग समावेशी ई- गवर्नेंस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करने का प्रयास करता है। साथ ही यह शोधपत्र यह पता लगाने का प्रयास करता है कि कैसे ई-गवर्नेंस पंचायती राज ढांचे के भीतर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है, जिससे अधिक समावेशी और प्रभावी स्थानीय शासन को बढ़ावा मिल सके।

2. पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी

सर्वप्रथम, भारत के राजस्थान प्रांत के नागौर जिले में अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का श्रीगणेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्तर पर जनता के विकास में सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करना था **[3]** । पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का तात्पर्य भारत में गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं की भागीदारी से है जैसा की संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा अनिवार्य है। 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलायें सभी स्थानीय स्व-शासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होंगी जिनमें पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, जिला परिषद् आदि सभी स्तर शामिल हैं इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। किसी पंचायती राज संस्था में जितने सदस्य इस वर्ग के होंगे उनका एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इस प्रकार यह विधेयक राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कर सत्ता में इस वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करता है **[4]**। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रावधान के कारण ग्रामीण शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें सामाजिक बाधाएँ, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और महिला उम्मीदवारों के लिए संसाधनों और समर्थन की कमी शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय विकास पहल को आगे बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न सरकारी पहलों और नागरिक समान कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है।

3. महिला सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में ई- गवर्नेंस

महिलाएं, पुरुषों की तुलना में ज्ञान की कमी के कारण अंतर्निहित कमजोरी से पीड़ित है। महिलाओं को इस समस्या से उबरने में मदद करने का एक तरीका उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है। महिलाओं की उन्नति और मुक्ति के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण को एक आवश्यक पूर्व शर्त माना जाता है **[5, 6]** । अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देकर सशक्त बनाना और विशेष रूप से, उन्हें ज्ञान और जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करना आवश्यक है जो इस तरह के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप की क्षमता में कार्य करते हैं **[7]**। महिलाओं की क्षमता निर्माण को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ई- गवर्नेंस जैसे नए उपायों और पहलों से सुविधा मिलती है। ई- गवर्नेंस महिलाओं को

एक लोकतांत्रिक स्थान और समान अवसर प्रदान कर सकता है और उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान दे सकता है **[8]** |

ई- गवर्नेंस सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करके, महिलाओं को नागरिक जीवन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बनाने और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने में सक्षम बनाकर महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। यह भौगोलिक दूरी, गतिशीलता की कमी और नौकरशाही बाधाओं जैसी पारम्परिक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है, जिससे महिलाओं को अपने आधिकारों का दावा करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों का पीछा करने में सशक्त बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाली ई- गवर्नेंस पहल शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लैंगिक असमानताओं को दूर करने में मदद कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं की आवाज सुनी जाए और नीति निर्माण और कार्यान्वयन में उनके हितों का प्रतिनिधित्व किया जाए।

4. महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ई- गवर्नेंस पहल

ई-गवर्नेंस पहल ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पहल वास्तव में महिलाओं के जीवन को काफी हद तक बदल रही है जो उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाती है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करती है **[9, 10]**।

a. **ई- पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी)** - ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने एवं ग्राम पंचायत को कंप्यूटरीकृत करने के लिए भारत सरकार की ओर से ई- पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य पंचायतो की कार्यप्रणाली में सुधार लाना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है।
b. **रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना** - उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी जघन्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को आर्थिक तथा चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
c. **जनसुनवाई पोर्टल** - सूचना तकनीक का प्रयोग कर सुशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित ' जनसुनवाई ' एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है। यह प्रणाली नागरिको एवं शासन / विभागों के बीच आसान एवं पारदर्शी तरीके से संवाद स्थापित करने में सहायक होगी।
d. **एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल**- पेंशन महिलाओं को उनके वित्तीय और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है। ये योजनाएं उन्हें गौरव और आत्मसम्मान के साथ जीना सुनिश्चित करती हैं। एकीकृत पेंशन पोर्टल समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन को एकीकृत करता है। इन योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को काफी बल मिला है।
e. **'सक्षम' छात्रवृत्ति पोर्टल** - छात्रवृत्ति योजनाएं समाज में लड़कियों के सामाजिक आर्थिक विकास और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सक्षम, पारदर्शी, समयबद्ध और कुशल तरीके से छात्रवृत्ति के वितरण के लिए उत्तर प्रदेश में विकसित और कार्यन्वित मॉडल है। सक्षम, लड़कियों को या उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
f. **सी.ए.सी. 2.0** - सामाजिक और आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीएसी 2.0 एक सेवा वितरण उन्मुख उद्यमिता मॉडल है जो कि स्टेट वाइड

एरिया नेटवर्क (SWAN), ई-डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (SSDG), स्टेट डेटा सेंटर और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) / (Bharat Net) के रूप में पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे के माध्यम से नागरिकों के लिए उपलब्ध सेवाओं का एक मंच है।

g. **भूलेख** - जब महिलाएं सम्पत्ति की मालिक होती हैं तो पितृसत्तात्मक रवैया प्रभावित होता है। भूलेख 2.0 क्लाउड आधारित एक एकीकृत माडल है जो भूमि विवरण के मामले में महिलाओं को सशक्त बनाता है। महिलाएं किसी भी सरकारी कार्यालय से संपर्क किए बिना अपने अधिकारों के रिकार्ड / खतौनी तक पहुँच सकती हैं।

5. डिजिटल सशक्तिकरण में ई- गवर्नेंस की चुनौतियाँ

ई- गवर्नेंस का मूल उद्देश्य इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से सरकार और नागरिकों के बीच पारदर्शिता लाना है। भारत जो एक विकासशील देश है, में साक्षरता दर बहुत कम होने के कारण इंटरनेट के माध्यम से संचार प्रक्रिया बेहद कठिन हो जाती है। अतः डिजिटल सशक्तिकरण हासिल करने में ई- गवर्नेंस को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो निम्न है-

a. **निरक्षरता** - निरक्षरता डिजिटल सशक्तिकरण के उद्देश्य से ई- गवर्नेंस के सम्मुख एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत की साक्षरता दर कम होने के कारण यह ई- गवर्नेंस के कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है।

b. **विविध भाषाएँ** - भारतीय समाज एक बहु-जातीय और विविध समाज है जहाँ विविध समूह के लोगों की अपनी संस्कृति और भाषाएँ हैं। भारत में अधिकांश ग्रामीण लोग अपनी मूल भाषा ही बोलते हैं और वे मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं से परिचित नहीं होते हैं। सभी ई- गवर्नेंस एप्लीकेशन मूल भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिसे आधिकांश ग्रामीण लोग नहीं समझते हैं। इस प्रकार वे अक्सर सरकार और उसकी विभिन्न विकास योजनाओं के विषय में उचित जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

c. **जागरूकता की कमी** - जागरुकता की कमी डिजिटल सशक्तिकरण हेतु ई- गवर्नेंस के सफल कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। डिजिटल संसाधनों की बढ़ती उपलब्धता के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति, विशेष रूप से महिलायें ई- गवर्नेंस द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ और अवसरों से अनजान हैं। जागरुकता की यह कमी विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है, जिनमें प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच, डिजिटल साक्षरता पर अपर्याप्त शिक्षा और सांस्कृतिक या भाषायी बाधाएं शामिल है।

d. **परिवर्तन का प्रतिरोध** - प्रशासन में ई- गवर्नेंस की शुरुआत ने आधिकारिक कार्यों की कार्यप्रणाली को मैनुअल से कम्प्यूटरीकृत में बदल दिया है परन्तु कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता ने भी इसका स्वागत नहीं किया है क्योंकि उनके मन में नई चीजें सीखने में बहुत झिझक होती है जिसके लिए उन्हें अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है।

e. **आधारभूत संरचना** - ई- गवर्नेंस वेबसाइट का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, उदाहरणतः बिजली, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी आवश्यक है। पंचायतों में यह बुनियानी ढांचा पर्याप्त मौजूद नहीं है। अपर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढाँचा, ई-गवर्नेंस के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालता है।

f. **गोपनीयता की समस्या** - जब वेबसाइट की स्थापना की बात आती है तो जीवन की गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा के साथ सेवा वितरण के लिए नागरिक डेटा के संग्रह को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

g. **साइबर सुरक्षा जोखिम** - यह एक गंभीर और तकनीकी चुनौती है। डिजिटल सिस्टम में' कमजोरियों संवेदनशील डेटा से समझौता कर सकती हैं और ई- गवर्नेंस प्लेटफार्मों में विश्वास को कमजोर कर सकती हैं, जिसके लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
h. **नीति और कानूनी ढाँचे** - जवाबदेही, पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ई- गवर्नेंस गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक नीतियां और कानूनी ढाँचे विकसित करना जटिल है।

6. प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रणनीतियाँ

पंचायती राज में ई-गवर्नेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से प्रभावी हो सकता है -

1. **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम** - ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।
2. **सुलभ प्लेटफॉर्म** - महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए की ई- गवर्नेंस प्लेटफार्म उपयोगकर्ता के अनुकूल, सुलभ और स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो।
3. **लिंग- संवेदनशील नीतियां**- ऐसी नीतियां तैयार की जानी चाहिए जो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के सम्मुख आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करती हों तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती हों।
4. **क्षमता निर्माण** – महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल और ई- गवर्नेंस की समझ को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए।
5. **आईसीटी बुनियादी ढांचे में सुधार** - डिजिटल विभाजन को पाटने और महिलाओं की ऑनलाइन संसाधनो तक पहुँच को सक्षम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के कनेक्टिविटी और आईसीटी बुनियादी ढांचे में सुधार करने में निवेश किया जाना चाहिए।
6. **सामुदायिक सहभागिता** - ई- गवर्नेंस के लाभों को बढ़ावा देने और पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
7. **निगरानी और मूल्यांकन** - सुधार के लिए नियमित मूल्यांकन और फीडबैक लूप के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में ई- गवर्नेंस पहल की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
8. **समावेशी निर्णय निर्माण** - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचायती राज संस्थानों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रियाएं समावेशी हों और महिलाओं को भाग लेने और योगदान करने के लिए समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।
9. **कानूनी सहायता** - उन महिलाओं को कानूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो ई- गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँचने और उनका उपयोग करने में बाधाओं या भेदभाव का सामना करती हैं।

7. निष्कर्ष

ई- गवर्नेंस सुशासन के लक्ष्यों को पूरा करने का एक उपकरण है। ई- गवर्नेंस समय की मांग है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सबसे सस्ती दर पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। पंचायती राज स्तर पर ई- गवर्नेंस के माध्यम से महिलाओं का डिजिटल सशक्तिकरण लैंगिक समानता, समावेशन और स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मो का

लाभ उठाकर, महिलाओं को जानकारी तक पहुँचने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने और सामुदायिक विकास में सार्थक योगदान देने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह परिवर्तनकारी दृष्टिकोण न केवल शासन की प्रभावशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाता है बल्कि सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, जिससे अंततः अधिक न्यायसंगत और समृद्ध समाज का निर्माण होता है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर और लिंग - समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर, पंचायती राज संस्थाएं महिलाओं के बीच अधिक भागीदारी, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे विकेन्द्रीकरण और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है।.

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Primo N. and Khan A.W. (2003), Gender issues in the information society, p.p. 81-85, Paris: UNESCO digital library: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132967.
2. Kaur A. (2015), Gender perspective in electronic governance initiatives in India: Use of ICT for women empowerment, International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women's Studies, Ankara, Turkey.
3. खन्ना सं० (2007), 21 वी शती में नारी कानून और सरोकार, विधि भारती परिषद्, दिल्ली |
4. सोलंकी ल० (2015), 'महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं पंचायती राज, पृष्ठ-83, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली |
5. Stivers C. (2002), Gender images in public administration: Legitimacy and the administrative state, Thousand Oaks, CA: Sage Publishers, **DOI:** https://doi.org/10.4135/9781452229294.
6. Jaggar A. (1983), Faminist politics and human nature, Brighton: Harvester Press.
7. Young I. M. (2000), Inclusion and democracy, Oxford: Oxford University Press, DOI: https://doi.org/10.1093/0198297556.001.0001.
8. Boraian M. P. (2008), Empowerment of rural women: The deterrents and determinants, New Delhi: Concept Publishing Company.
9. प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो: https://Pib.gov.in
10. महिला एवं बाल विकास विभाग, उ० प्र०: https://mahilakalyan.up.nic.in